संख्या 4512 / II–2005–03(08)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली,
उत्तरांचल।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 15 दिसम्बर, 2005

विषय : **जनपद चमोली में गौचर हवाई अड्डे के निर्माण के फलस्वरूप बाधित सिंचाई व्यवस्था की पुनर्स्थापना हेतु भट्ट नगर लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए धनावंटन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली में गौचर हवाई अड्डे के निर्माण के फलस्वरूप बाधित सिंचाई व्यवस्था की पुनर्स्थापना हेतु भट्ट नगर लिफ्ट सिंचाई योजना के क्रियान्वयन हेतु रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि नलकूप खण्ड, देहरादून को व्यय के लिए आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उसी योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

5– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण– पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

6– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः 2

7— विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8— त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उक्त त्रैमास में पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

9— धनराशि का आहरण जी0ओ0एम0 के आधार पर निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 07–उत्तरांचल की लघु डाल नहरों का पुनरोद्धार आयोजनागत 800– अन्य व्यय, 02–अन्य रख–रखाव, 01–निर्माण कार्य, 24–बृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 204/XXVII (2)/2005 दिनांक 07 दिसम्बर 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या 4512/ II–2005–03(08)/05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
2— महालेखकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3— वित्त वित्त अनुभाग–2।
4— श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट,अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
5— नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
6— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
7— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
8— कोषाधिकारी, चमोली, उत्तरांचल।
9— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— गार्ड फाईल।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव